न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 131/2018 (75 राजस्थान भू राजस्व अधि0)(R.C.M.S . no 2018/00146)

रतनसिह पुत्र श्री देवीसिंह जाति गुर्जर निवासी कपरौला तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 12.6.2018 मु0नं0 129/2018 रतनसिह बनाम सरकार अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता।

नि र्ण य

दिनांकः 5.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 126.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया था कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 8.8.1988 की पालना में प्रार्थी का रकबा दुरूस्त किया जावे। तहत अदालत ने बाद कार्यवाही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट यह कहते हुये खारिज कर दिया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 8.8.1988 की पालना इतने लम्बे समय के पश्चात नहीं की जा सकती क्यों कि किसी भी न्यायालय का निर्णय/डिक्री 12 वर्ष बाद कालातीत हो जाती ह। इस प्रकार निर्णय दिनांक 8.8.1988 कालातीत होने के कारण निष्प्रभावी है और अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प में खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 12.6.2018 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि प्रार्थी ने दौराने सैटिलमेन्ट एक प्रार्थना पत्र बाबत रकबा दुरूस्ती सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर को प्रस्तुत किया था जिन्हौने अपने आदेश दिनांक 8.8.1988 के

द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था। यह कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपने आदेश के द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 91ऐयर का रकबा दुरूस्त करते हुये खसरा नम्बर 88 रकबा 0.23 ऐयर में से 8 ऐयर रकबा कम करने का आदेश दिया व प्रार्थी के हाल खसरा नम्ब्र 91 का रकबा 4 ऐयर से 12 ऐयर करने का आदेश पारित किया गया। इसके अलावा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपने इस आदेश में हाल खसरा नम्बर 131 व 187 ग्राम कपरोला तहसील भरतपुर का भी रकबा दुरूस्त करने का आदेश भी दिया था। खसरा नम्बर 131 व 187 की दुरूस्ती की पालना तो हाल जमाबन्दी में हो चुकी है लेकिन हाल खसरा नम्बर 88 व 91 ग्राम कपरोला तहसील भरतपुर की बाबत पालना अधुरी रही है। खसरा नम्बर 91 का रकबा दुरूस्त कर हाल रिकार्ड में 12 ऐयर कर दिया गया लेकिन खसरा नम्बर 88 के कुल रकबा 0.23 में से 8 ऐयर रकबा कम नहीं किया गया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के बाद खसरा नम्बर 88,91,131,137,136, 135/261, 186 व 187 ग्राम कपरोला तहसील भरतपुर के नक्शे में भी किसी प्रकार की दुरूस्ती नहीं की गई है। हाल नक्शे में भी आदेश दिनांक 8.8.1988 की पालना में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश विवेचनात्मक नहीं है न ही पूर्ण रूपेण परीक्षण किया गया है कोर्ट कैम्प में बिना सूचना दिये अपीलान्ट की बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। इसके अलावा तहत अदालत ने जो तर्क दिया गया है वह बेबुनियाद है क्यों कि डिक्री/निर्णय का कालातीत हो जाना दावे पर लागू होता है यहां कोई नियमित दावा डिक्री नहीं हुआ है दौराने सैटिलमेन्ट सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर बाद परीक्षण आदेश पारित किया गया है। यह आदेश डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। यह आदेश के सामान्य आदेश था जिसकी पालना दौराने सैटिलमेन्ट नहीं हो सकी और यह आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है जिसकी पालना का दायित्व सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपखण्डाधिकारी का होता है। कालातीत होने अथवा न होने से किसी भी पक्षकार को उसके खातेदारी हक हकूकों से महरूम नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का अनुतोष मात्र रकबा दुरूस्ती का है जिसके लिये उपखण्डाधिकारी पूर्णतया सक्षम अधिकारी है बाबजूद इसके निराधार तकनीकी बिन्दु पर प्रार्थना पत्र 136 बिना परीक्षण लोक अदालत की आड में कोर्ट कैम्प में खारिज कर देना कतई न्यायोचित नहीं रहता है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा देने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका ही नहीं दिया एकतरफा में कोर्ट कैम्प में पत्रावली ले जाकर प्रकरण खारिज कर दिया हैं। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 12.6.2018 निरस्त की जावे तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर जिला भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि प्रकरण नियमानुसर लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प अघापुर तहसील भरतपुर में पेश हुआ था। प्रार्थी का यह कहना गलत

Web Copy - Not Official

है कि वे उपस्थित नहीं थे। जबकि प्रकरण में नियमानुसार परीक्षण करते हुये संबधित पटवारी एवं गिरदावर से रिपोर्ट तलब की गई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 8.8. 1988 की पालना वर्तमान में इतने लम्बे समय के बाद नहीं की जा सकती है। किसी भी न्यायालय का निर्णय /डिक्री 12 वर्ष बाद कालातीत हो जाता है। इस प्रकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 8.8.1988 कालातीत होने से निष्प्रभावी है। जिसकी पालना में हाल राजस्व अभिलेख में कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। इसी आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धरा 128, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया है जो न्यायसंगत रहता है। तहत अदालत के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 12.6.2018 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 8.8.1988 के परिपेक्ष्य में मात्र रकबा दुरूस्ती हेतु पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय को एक कालातीत निर्णय मानते हुये उसकी पालना किये जाने से इन्कार कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है जबकि देखा जाये तो डिक्री/निर्णय का कालातीत हो जाना दावे पर लागू होता है यहां कोई नियमित दावा डिक्री नहीं हुआ है बल्कि दौराने सैटिलमेन्ट सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर बाद परीक्षण आदेश पारित किया गया है। यह आदेश डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। कालातीत होने अथवा न होने से किसी भी पक्षकार को उसके खातेदारी हक हकूकों से महरूम नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का अनुतोष मात्र रकबा दुरूस्ती का है। जिसके लिये उपखण्डाधिकारी पूर्णतया सक्षम अधिकारी है। इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण को तहत अदालत द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णित न किया जाकर केवल आदेशिक पर पृष्ठांकित पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया है जो प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने में पर्याप्त नहीं कही जा सकती। तहत पत्रावली में मातहत अधिकारी/कर्मचारियों से रिपोर्ट तलब किये जाने का अभाव पाया गया है जो न्यायिक दृष्टि से उचित नही माना जा सकता। प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष क्या वास्तव में उचित है ? न्याय संगत है ? अथवा आधारहीन ? यह स्पष्ट तब ही हो सकता था जबकि सभी हितधारी पक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये नियमानुसार बाद पैमायश/जांच गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता। केवल कालातीत कह कर किसी व्यक्ति के उसके वास्तविक हक–हकूकों से महरूम नहीं किया जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सकता। यह बखूबी जाहिर है कि यह प्रकरण लोक अदालत में निर्णित किया गया है तथा जिस पटवारी रिपोर्ट का अपीलाधीन आदेश में जिक्र किया गया है वह तलब न की जाकर केवल आदेशिका पर पृष्ठांकित है जो सारगर्भित नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट के उपर्युक्त कथनों से हम सहमत रहते है कि अपीलाधीन आदेश गुणावगुण के आधार पर विवेचना न किया जाकर केवल पटवारी की आदेशिका पर अंकित समरी टिप्पणी के आधार पर पारित किया गया है जो वास्तव में स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है लिहाजा अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण के आधार पर पारित न किये जाने की स्थिति में खारिज योग्य ही रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2018 निरस्त किया जाता है । उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट द्वारा धारा 136 एल आर एक्ट के माध्यम से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 8.8.1988 के परिपेक्ष्य में चाहे गये अनुतोष के संदर्भ में प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये सभी हितधारी पक्षकारान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये नये सिरे से जांच कराया जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को सुनाया गया ।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official